प्रेस विज्ञप्ति

6.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने एमयूडीए घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 04.10.2025 को एमयूडीए स्थलों सहित 40.08 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 34 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा स्थल आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाले के मामले में लोकायुक्त पुलिस मैसूर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच में एमयूडीए के पूर्व आयुक्त जीटी दिनेश कुमार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ के मार्ग और स्तरीकरण का खुलासा हुआ। अपराध की इस राशि का उपयोग जीटी दिनेश कुमार के रिश्तेदारों/सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्तियाँ खरीदने में किया गया। आगे की जाँच में जीटी दिनेश कुमार द्वारा एमयूडीए की 31 साइटों के अवैध आवंटन का भी पता चला।

मामले में ईडी द्वारा 18.10.2024 और 28.10.2024 को तलाशी ली गई। तलाशी से पता चला कि इन स्थलों का आवंटन 14.03.2023 के पत्र, 27.10.2023 के सरकारी आदेश, 2015 में संशोधित कर्नाटक शहरी विकास प्राधिकरण (अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के बदले स्थलों का आवंटन) नियम, 2009 और कर्नाटक शहरी विकास प्राधिकरण (स्वैच्छिक भूमि समर्पण हेतु प्रोत्साहन योजना) नियम, 1991 का घोर उल्लंघन करके किया गया था। इसके अलावा, तलाशी कार्रवाई से एमयूडीए अधिकारियों/कर्मचारियों और रियल एस्टेट कारोबारियों के बीच गहरी सांठगांठ का भी पता चला। सबूतों से यह भी पता चला कि मुआवजे के तौर पर साइटों के आवंटन और लेआउट की मंज़ूरी के लिए नकद भुगतान किया गया था।

इससे पहले, इस मामले में, ईडी ने अवैध रूप से आवंटित कुल 252 एमयूडीए स्थलों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इसके अलावा, MUDA स्थलों का बड़े पैमाने पर अवैध आवंटन करने वाले जी. टी. दिनेश कुमार को 16.09.2025 को ध.शो.नि.अ, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में, जी. टी. दिनेश कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में अब तक ध.शो.नि.अ, 2002

के प्रावधानों के तहत लगभग 440 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य की आपराधिक आय कुर्क की जा चुकी है। आगे की जाँच जारी है।